शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
::आदेश::

पटना दिनांक– 20/02/26

संचिका सं0–07/मु0–01–522/2025 951 /माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–20214/2025, किरण कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–20214/2025, किरण कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–16.12.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

" ...9. Considering the aforesaid, this Court in order to allow the petitioner to get her issues addressed by the authorities in terms of the policies framed, the so called system generated rejection order, appended with the writ petition as Annexure-12, which does not indicate any consideration, is hereby set aside and the authorities are directed to consider the representation dated 17.11.2025, which would be filed by the petitioner by resorting to the procedure prescribed and as also supported with the materials for consideration in terms of the policies, within a period of four weeks from today.

10. It is expected that on filing of such representation before the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna, the same shall be decided within a further period of six weeks and the necessary order shall be communicated to the petitioner.

11. Accordingly, the instant writ petition stands allowed..."

3. उपरोक्त आदेश के आलोक में संदर्भित मामले में सुनवाई किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–146 दिनांक–12.01.2026 एवं विभागीय पत्रांक–181 दिनांक–15.01.2026 द्वारा क्रमशः दिनांक–14.01.2026 एवं दिनांक–27.01.2026 को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष निरूपित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

4. उक्त निदेश के आलोक में वादिनी दिनांक 14.01.2026 एवं 27.01.2026 को सुनवाई में उपस्थित हुई एवं इनके पक्ष को सुना गया। वादिनी का कथन है कि उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–26/2023 (TRE-1) के माध्यम से विद्यालय अध्यापक के पद पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केलबारी, बी0आर0सी0–बिथान, जिला–समस्तीपुर में हुआ था। उनके द्वारा उक्त विद्यालय में दिनांक–18.11.2023 को योगदान किया गया। वादिनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक–11.09.2024 को विद्यालय से लौटते वक्त एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण उनको तीन बड़े ऑपरेशन कराने पड़े। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक–2048 दिनांक–22.11.2024 के आलोक में उनके द्वारा दिनांक–09.12.2024 को ई–शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दूरी के आधार पर समस्तीपुर जिले से पटना/जहानाबाद/वैशाली जिले में स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया गया परंतु उक्त तीनों जिलों में से किसी भी जिले में उनका स्थानांतरण नही हो पाया। तत्पश्चात् शिक्षा विभाग द्वारा पटना जिला को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानांतरण हेतु ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अनुरोध किया गया। इस क्रम मे वादिनी द्वारा गंभीर चिकित्सा समस्या के आधार पर समस्तीपुर जिले से गृह जिला पटना में स्थानांतरण हेतु दिनांक–17.11.2025 को भौतिक आवेदन समर्पित किया गया। उक्त भौतिक आवेदन में यह अंकित है कि दाहिने पैर की जांघ पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप बड़े ऑपरेशन होने से उनको चलने तथा अन्य आवश्यक कार्य करने में काफी कठिनाई होती है।

5. विदित है कि वादिनी द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन दूरी के आधार पर किया गया था, जिस पर उस समय विचार नही किया गया क्योंकि

विभागीय पत्रांक–2048 दिनांक–22.11.2024 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–28 दिनांक–03.01.2025 आलोक में दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का स्थानांतरण तृतीय चरण में किया गया।

6. संप्रति विभाग द्वारा स्थानांतरण नियमावली तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में वादिनी के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)

निदशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–01–522/2026......851...... पटना, दिनांकः–......20/02/26......

प्रतिलिपिः– 1. Kiran Kumari, D/o- Late Baldeo Yadav, Vidyalay Adhyapak (01-05) in UMS School, Kelbari, Block and BRC-Bithan, CRC- Sihma. District -Samastipur, PIN- 848207 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।